

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची ।
वन भवन, डोरण्डा, राँची – 834002

पत्रांक : 1919/प्रमुख/19-3669

दिनांक 19.11.15

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी
एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची ।

सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ।

सभी मुख्य वन संरक्षक ।

सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक ।

विषय :- झारखण्ड वन विभाग के पदाधिकारियों की Capacity building हेतु XLRI, Jamshedpur में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के संबंध में ।

महाशय,

विभिन्न प्रकार के औद्योगिक / वैश्विक / जैविक गतिविधियों के कारण वनों पर बढ़ते दबाव/दुष्प्रभाव तथा जलवायु परिवर्तन के कारण वनों के विकास, समर्थन तथा प्रबन्धन के लिए वन विभाग के समक्ष उत्पन्न बदलती चुनौतियों के आलोक में उपरोक्त बदले परिवेश में वन पदाधिकारियों की क्षमता विकास किए जाने हेतु एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने हेतु इस देश के ख्याति प्राप्त प्रबन्ध संस्थाओं में से एक इस राज्य के जमशेदपुर में स्थित XLRI (Xavier School of Management) प्रबन्धन संस्थान से सम्पर्क किया गया है ।

2. XLRI, Jamshedpur के द्वारा इस वित्तीय वर्ष में भारतीय वन सेवा, राज्य वन सेवा तथा वन क्षेत्र पदाधिकारियों के लिए क्षमता विकास से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है ।

3. भारतीय वन सेवा तथा राज्य वन सेवा के पदाधिकारियों के लिए दो दिवसीय दो प्रशिक्षण कार्यक्रम (कुल 40 प्रतिभागियों के लिए) दिसम्बर 21-22, 2015 तथा जनवरी 18-19, 2016 को एवं वन क्षेत्र पदाधिकारियों के लिए इसी प्रकार दो प्रशिक्षण कार्यक्रम 28-30 दिसम्बर, 2015 तथा 21 से 23 जनवरी, 2016 को आयोजित किये जायेंगे ।

4. उपरोक्त प्रशिक्षण के समुचित संचालन / समन्वय हेतु क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर नोडल पदाधिकारी होंगे ।

5. उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु XLRI, Jamshedpur से प्रस्ताव के आलोक में गैर योजना मद से राशि का आवंटन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर को किया जा चुका है ।

6. प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु पदाधिकारियों का मनोनयन हेतु क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर को प्राधिकृत किया गया है। वे अपने प्रधान मुख्य वन संरक्षक से विमर्श के आधार पर विभिन्न पदाधिकारियों को प्रशिक्षण में मनोनित कर पत्र निर्गत करेंगे एवं पत्र की प्रति प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखंड, रांची को देंगे। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रशिक्षण हेतु कोई भी slot खाली नहीं जाये। अंतिम समय में वे किसी अधिकारी के नहीं आने की स्थिति में किसी अन्य प्रतिस्थानी को मनोनयन हेतु प्राधिकृत रहेंगे।

7. प्रशिक्षण आवासीय होगी तथा यह सुविधा XLRI, Jamshedpur के परिसर में उपलब्ध होगी।

8. प्रशिक्षण हेतु आने वाले पदाधिकारियों को आवश्यकतानुसार परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर अपने स्तर से समुचित कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

9. प्रशिक्षण का feedback प्रशिक्षणार्थियों से unsigned feedback form में प्राप्त किया जाय एवं summary के साथ प्रधान मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखंड, रांची को भेजा जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक :-

दिनांक :-

प्रतिलिपि प्रधान सचिव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को XLRI से प्राप्त concept note / प्रस्ताव की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित।
अनु०:- यथोक्त।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक :-

दिनांक :-

प्रतिलिपि ENVIS Center, वन भवन, डोरण्डा, राँची को Instruction tab पर Upload करने हेतु प्रेषित।


वन प्रमंडल पदाधिकारी,
निदेशन एवं प्रशासन,
झारखण्ड, राँची